5

प्रस्ताव की राज्य क्र0सं0–..

भाग – II

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

(सम्बन्धित प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या)

क्र0सं0	प्रस्ताव	
7	परियोजना / स्कीम का स्थान	वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्रीन फील्ड कोयला पर आधारित 1320 मेगा वाट (660मेगावाट×2) क्षमता की तापीय विद्युत परियोजना ग्राम– ददरीखुर्द, तप्पा– चौरासी, परगना– कंतित, तहसील–सदर, जिला– मीरजापुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के सम्पर्क मार्ग निर्माण एवं जलापूर्ति हेतु भूमिगत वाटर पाइप लाइन बिछाने बाबत कुल 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता है सम्पर्क मार्ग निर्माण एवं जलापूर्ति हेतु भूमिगत वाटर पाइप लाइन हेतु प्रस्तावित अपेक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है– बरकछाखुर्द 0.0026 हे0, बरकछाकलां 0.4829 हे0, गोडटुटवा 0.4324 हे0, दांती 3.1043 हे0, बेला 1.0176 हे0, ददरी गहिरा 1.6883, ददरीखुर्द 1.6300 हे0। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से प्रभावित कुल 8.3581 हें0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावक विभाग को निम्न बिन्दुओं पर अनुमति की आवश्यकता है– 1– प्रस्तावित परियोजना के सम्पर्क मार्ग निर्माण एवं जलापूर्ति हेतु भूमिगत वाटर पाइप लाइन बिछाने हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति। 2– प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित 296 वृक्षों के पातन की अनुमति।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	मीरजापुर
(iii)	वन प्रभाग	मीरजापुर वन प्रभाग
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हें0 में)	8.3581 हेक्टेयर (आरक्षित वन भूमि)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिचांई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर0 एल0, एफ0आर0एल0–2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0–4 मीटर भी संलग्न किया जाय।	परियोजना से प्रभावित वृक्षो की प्रजातिवार, व्यासवार सूची संलग्न है।
(viii)	भू–रक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता	यह भू–भाग भू–क्षरण के लिये संवेदनशील नही है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	आरक्षित वन सीमा के अन्तर्गत।
(x)	क्या फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाय)	नही
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारंपरिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नही
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1, कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	अपरिहार्य एवं न्यूनतम ।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ / नही) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहें है।	नही। अधिनियम के उल्लंघन मे कोई कार्य नही किया गया है।
10	**प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा**	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवनत वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार ।	प्रस्तावक संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम– कुशियरा, तप्पा– उपरौध, तहसील– लालगज, जिला– मीरजापुर के आराजी सं0 44च क्षेत्रफल 9.3340 हेक्टेयर में से 8.3581 हेक्टेयर गैर वन भूमि चिन्हित किया गया है। जो कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत है एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर / अवक्रमिक वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं का दर्शाता मैंप ।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढ़ाचा आदि ।	रोपित की जाने वाली मुख्य प्रजातियां– नीम, चिलबिल, कंजी, बरगद, पीपल, के0सं0, जामुन इमली, सेमल आदि।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	रू0 19,26,000.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरी से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 के पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	**विभाग / जिला प्रोफाइल**	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	452200.000 हें0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	104405.00 हें0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र प्रभाग	45 मामले, 348.1684 हें0
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर ।	366.300 हें0 176.254 हें0 190.046 हें0
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	366.300 हें0
	(क) वन भूमि पर	176.254 हें0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	190.0 हें0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव में उल्लिखित भूमि की मांग परियोजना के सम्पर्क मार्ग एवं भूमिगत वाटर पाइप लाइन बिछाने हेतु न्यूनतम है तथा परियोजना के निर्माण से वन एवं वन्य जीवों के सम्बर्धन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की संस्तुति की जाती हैं

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : .... प्रभागीय वनाधिकारी

मीरजापुर वन प्रभाग

सरकारी मोहर : .... मीरजापुर